समापण भाषण

माननीय सदस्यगण,

षोड्श बिहार विधान सभा का दशम सत्र दिनांक 20 जुलाई, 2018 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 26 जुलाई, 2018 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 20 जुलाई, 2018 को बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 03 (तीन) विधेयकों एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 04 (चार) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-08 (आठ) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 24 जुलाई, 2018 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय एवं तृतीय सत्र के 230 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर की प्रतियाँ सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, विधान सभा पटल पर रखा गया ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह में घटित घटना के संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया । साथ ही महिला काँग्रेस के प्रदर्शन के दौरान घटित घटना के संबंध में भी सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया ।

दिनांक 25 जुलाई, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग स्वीकृत हुई तथा शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ । इसके अलावा बिहार में सुखाड़ की स्थिति पर दो घंटे का विमर्श हुआ और शायद सदस्यों की गंभीरता के मद्देनजर आज प्रकृति भी पसीजती प्रतीत हो रही है ।

Contd....2..

दिनांक 26 जुलाई, 2018 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (2) के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम का वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति एवं माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 के तहत् बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018.
2) बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018.
3) बिहार वित्त विधेयक, 2018.
4) दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018.
5) बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018.
6) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018.

सत्र के दौरान कुल-746 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 557 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 07 अल्पसूचित, 478 तारांकित एवं 72 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-14, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर 74, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-02, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-01 एवं 466 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-98 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए ।

इस सत्र में कुल-127 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 124 स्वीकृत हुए एवं 03 अस्वीकृत हुए । कुल-107 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 81 स्वीकृत एवं 26 अस्वीकृत हुई ।

Contd...3..

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीकण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।